FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0016 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 10/10/2023 12:49 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range Rohtak

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/10/2023 Time (समय): 11:10 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 10/10/2023 11:18 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 25 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): गांव गुढान जिला रोहतक,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

Scanned with OKEN Scanner

(a) Name (नाम): सुमित कुमार उ0पु0अ0

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 26/12/1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range Rohtak

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	थाना एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	थाना एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9896425725

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अरविन्द मलिक तत्कालीन			1. खण्ड विकास एवं पंचायत,अधिकारी,कलानौर जिला रोहतक ROHTAK,HARYANA,INDIA
2	संजय तत्कालीन ग्राम सचिव कलानौर रोहतक		Father's Name: साधुराम	1. गाँव कटेसरा, ROHTAK,HARYANA,INDIA
3	हरपाल		Father's Name: साधुराम	1. गाँव कटेसरा जिला रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

Scanned with OKEN Scanner

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range Rohtak

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, जांच क्रमांक 02 दिनांक 03.11.2021 रोहतक मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 6/49/2021-2VII दिनांक चंण्डीगढ 25.10.2021 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा,पंचकूला के पृ0 क्रमांक 17709/आई-5/रा.चौ.ब्यूरो (ह0) दिनांक 03.11.2021 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल,रोहतक के डायरी क्रमांक 2752 दिनांक 12.11.2021 के अनुसार पडताल हेतू प्राप्त हुई थी । जिसमें आरोप की पडताल की जानी थी कि अरविन्द मलिक, तत्कालीन खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कलानौर ने वर्ष 2015-16 में अपनी नियुक्ति के दौरान गांव गुढान में ग्राम सचिव के साथ मिलीभगत करके गांव गुढान में लगने वाले डस्टबीनों के फर्जी बिल बनवाकर करीब 5.53 लाख रूपये का गबन किया है या नहीं। जांच से पाया गया कि अरविन्द मलिक तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, कलानौर ने बतौर प्रशासक अपने कार्यकाल के दौरान गांव गुढान की सफाई के लिए 96 कूडादान की खरीद हेतू दिनांक 20.12.2015 को प्रस्ताव पारित किया था । खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, कलानौर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार गांव गुढान में उक्त 96 कुडेदान लगाने हेतु श्री अरविन्द मलिक तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, कलानौर द्वारा कोई नोटिस/विज्ञापन नहीं निकाला गया था और बिना नोटिस/विज्ञापन के अपने स्तर पर 3 फर्मो (M/s Shri Kahna Traders, M/s Balaji Enterprises, M/s R.K.Engery System) से कोटेसन प्राप्त की जानी पाई गई । M/s Shri Kahna Traders द्वारा 16 गेज चदर से बना व स्टेन्ड,लेबर,मैटिरियल सहित प्रति कुडादान का रेट 5100/- रूपये, M/s Balaji Enterprises द्वारा प्रति कुडेदान का रेट 5250/- रूपये व M/s R.K.Engery System द्वारा प्रति कुडेदान का रेट 5200/- रूपये की कोटेसन दी गई जिसमे सबसे कम कीमत M/s Shri Kahna Traders , Bus stand Katesra की होने के कारण कूडादान उक्त फर्म से खरीद करने पाये गये । दिनांक 06.01.2016 को अरविन्द मलिक तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, कलानौर ने बतौर प्रशासक प्रस्ताव पारित करके 96 कुडेदानों के लिए M/s Shri Kahna Traders , Bus stand Katesra को उसके बिल न0 10 दिनांक 04.01.2016 कुल रकम 5,53,860 / रुपये द्वारा खरीद करके गांव पंचायत गुढान के पंजाब नैशनल बैंक के खाता न0 3349000100560436 के चैक न0 646937 द्वारा फर्म M/s Shri Kahna Traders को कुल रकम 5,53,860 रुपये भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई । जो उपरोक्त दोनों प्रस्तावो पर श्री अरविन्द मलिक तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, कलानौर व ग्राम सचिव संजय के हस्ताक्षर है । ग्राम पंचायत गुढान के 96 कुडेदान फर्म M/s Shri Kahna Traders, Bus stand Katesra के बिल न. 10 दिनांक 04.01.2016 के द्वारा 5100/-रु. प्रति कुडादान व अतिरिक्त 13.125 प्रतिशत कर की दर से खरीद करके ग्राम पंचायत गुढान के पंजाब नैशनल बैंक के खाता न0 3349000100560436 के चैक न0 646937 द्वारा दिनांक 10.02.2016 को फर्म M/s Shri Kahna Traders के खाता में कुल रकम 5,53,860 रुपये भुगतान किया जाना पाया गया । ग्राम पंचायत गुढान के कुडेदानों के लिए अरविन्द मलिक तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, कलानौर द्वारा प्राप्त की गई M/s Shri Kahna Traders की कोटेशन पर दिनांक 20.12.2015 अंकित है जबकि M/s Balaji Enterprises व M/s R.K.Engery System की कोटेशनो पर कोई दिनांक अंकित नही की हुई है । फर्म M/s Balaji Enterprises के मालिक प्रवीन पुत्र श्री रणबीर सिह निवासी गांव गौरड जिला सोनीपत व फर्म M/s R.K.Engery System के मालिक राकेश कुमार पुत्र श्री वीरभान शर्मा निवासी गांव कलसी तहसील नीलोखेडी जिला करनाल के कथन अंकित किये गये । जिन्होने अपने कथनों में बतलाया कि गांव गुढान में कुडेदान लगवाने हेतु उन्होने कोई कोटेशन खण्ड कार्यालय कलानौर मे नही दी और गांव गुढान के कुडेदानों हेतू दर्शायी गई उनकी फर्मो की कोटेशनो पर ना उनकी लिखाई है और ना ही उनके हस्ताक्षर है । जांच के दौरान यह भी पाया गया कि फर्म M/s Shri Kahna Traders का मालिक हरपाल पुत्र श्री साधुराम निवासी गाव कटेसरा जिला रोहतक है जोकि संजय, तत्कालीन ग्राम सचिव का सगा भाई है । फर्म मालिक हरपाल ने अपने कथन में अंकित कराया है कि ग्राम पंचायत गुडान की 96 कुडेदानो के लिए उसकी फर्म द्वारा दी गई कोटेशन व बिल न0 10 दिनांक 04.01.2016 पर

Scanned with OKEN Scanner

लिखाई उसके भाई संजय उर्फ मोनु की है जोकि उस समय ग्राम सचिव के पद पर खण्ड कलानौर मे तैनात था और जिसके पास उस दौरान ग्राम पंचायत गुढान का कार्यभार था ।

गुढान ग्राम वासियों द्वारा उक्त कर्मचारियों के खिलाफ कुडेदानों की राशि के गबन की शिकायते करने के बाद M/s Shri Kahna Traders के फर्म मालिक हरपाल द्वारा अपने बचाव में लगभग एक वर्ष बाद दिनांक 15.02.2017 को 96 कुडेदानों के सम्बन्ध में गबन की गई सरकारी धनराशि 5,53,860/- रुपये एच.डी.एफ.सी. खाता नं0 50200012551106 से RTGS के माध्यम से वापिस ग्राम पंचायत गुढान के बैंक खाते में जमा करवाने पाये गये तथा M/s Shri Kahna Traders के फर्म मालिक हरपाल द्वारा दिनांक 02.06.2018 को 7270/- रुपये (ब्याज के रुप मे बतलाई गई राशि) सिंडिकेट बैंक खाता नं0 96803070000250 से ग्राम पंचायत गुढान के खाते मे NEFT द्वारा जमा कराने पाये गये । ग्राम पंचायत गुढान के रजिस्टर स्टोक मैटिरियल में 96 कुडेदानो की प्रविष्टी करनी पाई गई परन्तु गांव गुढान में उक्त कुडेदान कहीं नही रखवाये गये ।

खण्ड कार्यालय कलानौर में कुडेदान रखे जाने के दौरान श्री नरेन्द्र सारवान , तत्कालीन जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक ने भी ग्राम पंचायत गुढान के कुडादानो में पंचायत फंड के गबन किये जाने के आरोपो की जांच की थी और खण्ड कार्यालय कलानौर में रखे कुडेदानो का भौतिक निरीक्षण भी किया था । जो निरीक्षण में कुडादान खण्ड कार्यालय के स्टोर में रखे हुए पाये गये थे । प्रत्येक कुडेदान का साईज 2 X1,3/4 पाया गया और कुडेदानो का वजन करवाया गया तो वजन प्रति कुडेदान 23.500 KG स्टेड सहित पाया गया । कुडेदान बनाने मे 16 गेज की चदर प्रयोग किया गया था । कुडेदानो के सम्बंध में कार्यकारी अभियंता पंचायती राज रोहतक ने पत्र क्रमांक 5388 दिनांक 29.11.16 के अनुसार प्रति कुडादान कीमत 1959/- रुपये निर्धारित कि गई जबकि ग्राम पंचायत गुढान के कुडादान निर्धारित कीमत से 3810/- रुपये प्रति कुडादान अधिक कीमत पर खरीद किये गये. जिनकी कुल राशि 3,65,760/- रुपये अधिक बनती है । श्री नरेन्द्र सारवान ,तत्कालीन जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक ने गांव गुढान में कुडादानो के सम्बंध मे पंचायत फंड के गबन की जांच उपरान्त अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक 3819/ विकास दिनांक 28.11.16 उपायुक्त रोहतक को भेजी । जांच मे श्री अरविन्द मलिक तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, कलानौर व संजय, ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत, गुढान अधिक कीमत पर कुडेदान खरीद करने के दोषी पाये गये । उसके बाद नवम्बर 2022 में M/S Shri Kanha Traders के मालिक हरपाल पुत्र साधुराम निवासी कटेसरा जिला रोहतक द्वारा 42 रुपये प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 96 कुडेदान (प्रत्येक का साईज 2 X1,3/4) कबाडी का काम करने वाले औमप्रकाश पुत्र नानक चन्द निवासी वार्ड न0 1, भिवानी चुंगी कलानौर, जिला रोहतक को बेचने ब्यान हुए ।

अतः श्री अरविन्द मलिक तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, कलानौर व संजय तत्कालीन ग्राम सचिव खण्ड कलानौर ने M/s Shri Kahna Traders के फर्म मालिक हरपाल पुत्र साधुराम निवासी गाँव कटेसरा जिला रोहतक से मिलीभगत करके फर्जी कोटेशन व फर्जी बिल तैयार करके धोखाधडी करते हुए कुल सरकारी धनराशि 3,65,760/- रुपये का गबन किया जाना पाया जाता है और गुढान ग्राम वासियों द्वारा उक्त कर्मचारियों के खिलाफ कुडेदानों की राशि के गबन की शिकायते करने के बाद M/s Shri Kahna Traders के फर्म मालिक हरपाल द्वारा बचाव में लगभग एक वर्ष बाद 96 कुडेदानों के सम्बन्ध में गबन की गई सरकारी धनराशि को वापिस ग्राम पंचायत गुढान के बैंक खाते में जमा करवाना पाया जाता है। अत: जांच की पडताल से जांच में लगाए गए आरोप सिद्व होने पाये जाने पर अरविन्द मलिक तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, कलानौर (वर्तमान में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक के पद से सेवानिवृत) व तत्कालीन ग्राम सचिव संजय पुत्र साधुराम निवासी गाँव कटेसरा जिला रोहतक व M/s Shri Kahna Traders, Bus Stand Katesra (Rohtak) के फर्म मालिक हरपाल पुत्र साधुराम निवासी गाँव कटेसरा जिला रोहतक के खिलाफ धारा 409,420,468,471,120B IPC 13 (1) (C),13 (1) (d), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने की सिफारिश सहित रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1463/ACB/RTK दिनांक 25.07.2023 के अनुसार महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला को भेजी गई थी । जो महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 13019/I-5/ACB (H) dated Panchkula 03.08.2023 के अनुसार अरविन्द मलिक तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, कलानौर (वर्तमान में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक के पद से सेवानिवृत) व तत्कालीन ग्राम सचिव संजय पुत्र साधुराम निवासी गाँव कटेसरा जिला रोहतक व M/s Shri Kahna Traders, Bus Stand Katesra (Rohtak) के फर्म मालिक हरपाल पुत्र साधुराम निवासी गाँव कटेसरा जिला रोहतक के खिलाफ धारा 409,420,468,471,120B IPC 13 (1) (C),13 (1) (d), 13 (2)

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range Rohtak

Scanned with OKEN Scanner

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये जाने की अनुमित प्राप्त की गई जिसमें मामला 1 करोड रूपये से कम कीमत का होने के कारण डिविजनल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अन्तर्गत पाया गया व मामले में Forgery, Embezzlement, Criminal Conspiracy के लगे आरोप प्रथम दृष्या आपराधिक होने पाये गये हैं जिसमें Section 17A PC Act लागू होना नहीं पाया गया । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक के पत्र क्रमांक 1721 दिनांक 17.08.2023 के अनुसार तहरीर के लिए दिशा निर्देश प्राप्त किये गये । अतः अभियोग पंजीकृत करके अफसरानबाला को बजरिया टेलीफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रैट साहब को भेजी जाये । अभियोग में आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाएगा व तफतीश के दौरान अन्य किसी का दोष पाया जाये तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाये । हस्ता अंग्रेजी SUMIT
(सुमित कुमार)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
रोहतक मण्डल, रोहतक ।

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range Rohtak

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 16 दिनांक 10.10.2023 धारा 409,420,468,471,120B IPC 13 (1) (C),13 (1) (d), 13 (2) PC ACT PS ACB RTK दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक सुरेश कुमार एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक के हवाले की जाएगी व EHC प्रवीण कुमार न0 616/रोहतक के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक कर्मबीर सिंह न0 164/H एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 739SPT **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Scanned with OKEN Scanner

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

No. (सं.):

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Scanned with OKEN Scanner